



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर दुष्कर्म के अभियोग में अभियुक्त को 12 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 25,000/- रुपये के अर्थदंड की सजा दिलाई गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा० न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना कोतवाली नगर में पंजीकृत मु०अ०सं०-163/2018 धारा-376,506 भा०द०सं० में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा० न्यायालय जिला/सत्र न्यायाधीश जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त प्रमोद कुमार पुत्र किशोरा निवासी टिकरौली थाना कोतवाली नगर जनपद हमीरपुर को दोषसिद्ध करते हुये 12 वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹25,000/- के अर्थदंड से दण्डित किया गया।



एडीजीसी
राजेश कुमार शुक्ल



विवेचक-
व०उ०नि० पंकज
कुमार सिंह



पैरोकार-
थाना- कोतवाल नगर
कां०- रजनीश कुमार